समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

(सांख्यिकी शाखा)

अल्पकालीन निविदा

एतत् द्वारा संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रण अधिकारी–सह–रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन) बिहार जनगणना निदेशक का कार्यालय, अशोक राजपथ पटना के पत्रांक 1802 दिनांक 22.06.2016 के आलोक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों का डाटा इन्ट्री हेतु सेवा प्रदाता (भेण्डर) के चयन के सम्बंध में निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा में इच्छुक फर्म दिनांक 11.08.2016 के अपराह्न 4.00 बजे तक जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में मुहरबंद निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से अथवा हाथों–हाथ जमा कर सकते है। प्राप्त निविदा दिनांक 12.08.2016 को पूर्वाहन 11. 00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खुलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

निविदा की शर्तः–

1. डाटा इन्ट्री के कार्य को 90 दिनों में समाप्त किया जाना है एवं एक प्रगणक खण्ड (ई0बी0) का कार्य तीन दिनों में समाप्त किया जाना है। इस तथ्य को निविदादाता ध्यान में रखेंगे।
2. सेवा प्रदाता का दायित्व होगा की वह सभी प्रकार का हार्डवेयर एवं कार्य करने हेतु पर्याप्त संख्या में आवश्यक इन्फास्ट्रक्चर, सहयोगी मैन पावर एवं ऑपरेटर उपलब्ध कराएगें।
3. सेवा प्रदाता का भुगतान प्रति रिकॉर्ड के आधार पर किया जायेगा। एक रिकॉर्ड का अर्थ किसी एक व्यक्ति विशेष के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत दर्ज सम्पूर्ण सूचना है।
4. जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में सेवाप्रदाता (भेण्डर) एवं उनके द्वारा चयनित ऑपरेटर तथा पर्यवेक्षक टीम की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
5. निविदादाता तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में मुहरबंद डालेंगे। तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाताओं को ही वित्तीय निविदा में शामिल किया जाएगा।
6. तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात रहेंगेः–
   (क) वैट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं बकाया रहित प्रमाण–पत्र (PAN) सहित।
   (ख) अद्यतन आयकर दाता होने का प्रमाण–पत्र।
   (ग) अग्रधन के रुप में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पदनाम से मो0 10000/– (दस हजार) रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट।
   (घ) फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
7. निविदादाता को इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।
8. निविदादाता का नाम काली सूची में दर्ज न होने का स्वयं का शपथ–पत्र।
9. भुगतान के पूर्व स्त्रोत से सभी करों की कटौती की जाएगी।
10. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पास सुरिक्षित रहेगा।
11. न्यूनतम दर के आधार पर निविदादाता इच्छुक फर्मों के बीच कार्य का वित्तरण करने का अधिकार भी अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
12. समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूरा नहीं करनें पर भुगतान की राशि में समानुपातिक कटौती की जा सकती है जिसका निर्धारण करनें का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. इस निविदा से सम्बंधित जानकारी eastchamparan.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
14. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा पूर्वी चमपारण मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में ही होगा।

26/7/16

जिला पदाधिकारी
–सह–
जिला रजिस्ट्रार(ना0 नि0)
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
Office of the Director of Census Operations, Bihar
बिहार राज्य सहाकारिता बैंक भवन, द्वितीय तल, अशोक राजपथ पटना – 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Building, 2nd Floor, Ashok Rajpath, Patna-800004
दूरभाषः 0612–2675929 / 2675672 दूरभाष एवं फैक्सः 0612–2675049 / ई–मेलःdco-bih.rgi@censusindia.gov.in

स्पीड पोस्ट / ई–मेल

पत्रांक–जे. 11015 / 04 / 2012 (NPR)–पार्ट–VI–1007 दिनांक–23/05/2016.

परिपत्र संख्या–4

प्रेषक,

ए०के० सक्सेना
संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रण अधिकारी
–सह–संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

सेवा में,

बिहार राज्य के सभी जिलाधिकारी–सह–
जिला रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन) एवं नगर आयुक्त
–सह–जिला रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन), नगर निगम, पटना।

विषयः–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों के डाटा इंट्री एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटा बेस को अद्यतन करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश ।

महोदय / महोदया,

जनगणना निदेशालय बिहार, पटना द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने से संबंधित कार्यों की जानकारी एवं सफल संचालन हेतु अब तक कुल 3 परिपत्र जारी किये जा चुके हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :–

01. परिपत्र संख्या–1 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) के डाटाबेस को अद्यतन करने एवं आधार नम्बर को एन.पी.आर डाटाबेस में सम्मलित करने के संबंध में।.
02. परिपत्र संख्या–2 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) के डाटाबेस को अद्यतन एवं एन.पी. आर डाटाबेस में आधार संख्यांक को सम्मलित करने के कार्य हेतु प्रशिक्षण तथा प्रगणकों के नियुक्ति के संबंध में।
03. परिपत्र संख्या–3 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) के सार पत्रकों को अपलोड करने एवं रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के संबंध में।

उक्त परिपत्रों के क्रम में परिपत्र संख्या–4 जारी की जा रही है जो क्षेत्र कार्य के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों / नये परिवारों के लिए भरे गये अनुसूचियों के डाटा इंट्री एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस को अद्यतन करने से संबंधित है। इस कार्य से संबंधित पूर्व में इस निदेशालय द्वारा पत्रांक जे० 11015 / 04 / 2012(NPR)–पार्ट–I-327 दिनांक 12/02/2016 जारी किया गया है जो प्रधान सचिव–सह–राज्य समन्वयक को संबोधित है तदनुसार राज्य सरकार द्वारा पत्रांक–4 / क्षे0 स्था0जन0 (एन0पी0आर0 आधार)–06 / 15–323 (4) / रा0 दिनांक 10 / 05 / 2016 द्वारा पत्र निर्गत किया गया है।

आशा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए क्षेत्र कार्य अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि क्षेत्र कार्य पूर्ण होने के उपरांत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सारांश पत्रों को एन.पी.आर बेब–पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य भी किया जाना है जिसके लिए पूर्व में परिपत्र संख्या–3 जारी किये जा चुके हैं। आशा है कि सारांश पत्रों का बेब–पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य भी अपने पूर्ण उत्कर्ष पर होगा।

जैसा कि आप अवगत हैं कि क्षेत्र कार्य के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका को अद्यतन करने के क्रम में आवश्यक संशोधन यथा व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि एवं वर्तमान पता तथा आधार संख्या एवं राशन कार्ड संख्या इत्यादि किया गया है तथा नये परिवारों के लिए अनुसूचियां भरने का कार्य हुआ है। उक्त आवश्यक संशोधनों का डाटा इंट्री का कार्य जिला स्तर पर प्रारंभ किया जाना है जिसके कुल 120 दिन निर्धारित है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों एवं नये परिवारों के लिए भरे गये अनुसूचियों के डाटा इंट्री के लिए निम्नलिखित कार्य आपके द्वारा कराये जाने हैं :–

01 (क) डाटा इंट्री ऑपरेटरों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

आप अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में डाटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति करवायेंगे जो कम से कम इंटरमीडिएट पास हों तथा उन्हें कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी हो और हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डाटा इंट्री करना जानते हो। कम्प्यूटर कार्य की जानकारी रखने वाले सरकारी कर्मी को ही पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया जाना है। पर्यवेक्षक सरकारी कर्मी ही होंगे।

(ख) प्रशिक्षंण

डाटा इंट्री ऑपरेटरों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर निदेशालय के मास्टर ट्रेनरों के द्वारा दिया जायेगा। डाटा इंट्री ऑपरेटरों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण का कार्य 20 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाना है।

02. डाटा इंट्री केन्द्र स्थापित करना

आप अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत प्रद्धति से कई डाटा इंट्री केन्द्र की स्थापना करवायेंगे तथा वहां डाटा इंट्री से संबंधित मूलभूत सुविधाओं को भी उपलब्ध करवायेंगे। सुझाव है कि प्रत्येक चार्ज में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक डाटा इंट्री केन्द्र की स्थापना करायी जाए ताकि कार्य को समकालिक रूप से निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके।

03. डाटा इंट्री का कार्य

पूरे राज्य में एक साथ डाटा इंट्री का कार्य प्रारंभ किया जाना है। कंडिका–1 एवं 2 में वर्णित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये आवश्यक संशोधनों एवं नये परिवारों के लिए भरे गये अनुसूचियों की वैधता की जांच प्रगणकों से एवं गुणवत्ता की जांच पर्यवेक्षकों से कराते हुए कार्य प्रारंभ तिथि से 90 दिनों के अंदर डाटा इंट्री कार्य को पूर्ण कर लिया जाना है।

04. मानदेय एवं अन्य व्यय

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये आवश्यक संशोधनों एवं नये परिवारों के लिए भरे गये अनुसूचियों के डाटा इंट्री एवं पर्यवेक्षण के लिए 4 (चार रूपये) प्रति रिकॉर्ड अनुमोदित है। पर्यवेक्षक का मानदेय राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो पूर्वोक्त 4 (चार रूपये) के अंतर्गत ही होगा। प्रत्येक प्रवास (Migration) एवं मृत्यु के संदर्भ में डाटा इंट्री प्रति रिकॉर्ड 1 रू0 निर्धारित है।

05. राज्य योजना प्रबंधन इकाई (SPMU)

डाटा इंट्री से संबंधित कार्यों के लिए तकनीकी सहयोग एवं कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु जनगणना निदेशालय बिहार, पटना में राज्य योजना प्रबंधन इकाई (State Project Management Unit) की स्थापना की गई है। यह इकाई राज्य–समन्वयक एवं जिला रजिस्ट्रारों के बीच डाटा इंट्री से संबंधित कार्यों के लिए संपर्क बनाये रखने का कार्य करेगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये आवश्यक संशोधनों के डाटा इंट्री के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया क्रमवार तरीके से तैयार कर इस परिपत्र के साथ (अनुलग्नक–1)प्रेषित किया जा रहा है।

06. डाटा इंट्री कार्य के गुणवत्ता की जांच

डाटा इंट्री का कार्य पूरे राज्य में एक साथ प्रारंभ किया जाना है। डाटा इंट्री कार्य के दौरान एन.पी. आर पुस्तिका में किये गये आवश्यक संशोधनों विशेष कर राशन कार्ड संख्या, आधार संख्या एवं मोबाईल नं0 की जांच कराने हेतु समुचित व्यवस्था जिला स्तर पर की जानी है ताकि आंकड़ों की गुणवत्ता बनी रहे। आप अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले डाटा इंट्री कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करें, क्योंकि नागरिकता नियमावली–2003 के अनुसार जिला रजिस्ट्रार को ही अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तैयार होने वाले NRIC (National Register of Indian Citizens) को प्रमाणित (Authenticate) करना है। अतः डाटा इंट्री के संपूर्ण कार्य का नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जाना उचित होगा। यह पर्यवेक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी/नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशासक/नगर आयुक्त द्वारा अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाना है।

एन.पी.आर पुस्तिका के कुल रिकॉर्ड का कम से कम 20 प्रतिशत रिकॉर्ड की गुणवत्ता की जांच पर्यवेक्षक के द्वारा डाटा इंट्री केन्द्र पर किया जाना है। रिकार्ड की गुणवत्ता जांच के बाद पर्यवेक्षक एन.पी. आर पुस्तिका पर अपना हस्ताक्षर तिथि के साथ करेगा।

अंत में परिपत्र संख्या–4 इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से इस परिपत्र की प्रति जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की कृपा करना चाहें तद्नुसार इसकी पावती प्राप्त कराकर निदेशालय को भी सूचित कराने हेतु संबंधित को निदेशित करना चाहें। इस आशय से पर्याप्त संख्या में परिपत्र आपको उपलब्ध करायी जा रही है।

20/5/2016

(ए०के० सक्सेना)
संयुक्त निदेशक–सह–
संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

पत्रांक–जे. 11015/04/2012 (NPR)–पार्ट–VI–1007 पटना, दिनांक–23/05/2016.
प्रतिलिपिः–

01. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना–800015.
02. अपर महारजिस्ट्रार, (नागरिक निबंधन), भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011.
03. प्रधान सचिव–सह–राज्य समन्वयक (राष्ट्रीय पंजीयन), राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना–800015.
04. श्री मनोज कुमार, उप महारजिस्ट्रार एवं नोडल अधिकारी (एन.पी.आर) बिहार, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011.
05. सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
06. सभी अनुमंडल पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
07. सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
08. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
09. उप निदेशक/सहायक निदेशक/सां० अं० ग्रेड–I, जनगणना कार्य निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5/2016

(मृत्युंजय कुमार)
उप निदेशक
–सह–उप रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

अनुलग्नक–1

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस में आवश्यक संशोधनों के डाटा इंट्री से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाएं

01. क्षेत्र कार्य के समाप्ति के बाद अद्यतन राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका/नये परिवारों के लिए भरी गयी अनुसूचियां प्रखंड में व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से रखा जायेगा।

02. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका के सारांश (Summary Sheet) का डाटा इंट्री राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बेब–पोर्टल पर किया जायेगा।

03. क्षेत्र कार्य के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये आवश्यक संशोधनों तथा जोड़े गये आधार संख्या, राशन कार्ड संख्या एवं मोबाईल नं0 का जिला/प्रखंड स्तर पर डाटा इंट्री किया जायेगा यह पर्याप्त मैन पावर एवं मूलभूत सुविधा पर निर्भर करेगा। अन्यथा इस संदर्भ में समुचित स्तर पर राज्य के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

04. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये आवश्यक संशोधनों का डाटा इंट्री का कार्य 120 दिनों में (4 माह) में निम्नांकित प्रकार से पूर्ण किया जायेगा।

(क) प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के लिए 20 दिन।

(ख) डाटा इंट्री केन्द्र की स्थापना एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 10 दिन।

(ग) कंडिका–क एवं कंडिका–ख में वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूरे राज्य में एक साथ डाटा इंट्री का कार्य प्रारंभ होगा। आंकड़ों की वैधता जांच प्रगणकों से एवं गुणवत्ता जांच उच्च प्राधिकार से कराते हुए यह कार्य 90 दिनों में पूर्ण होना है।

05. निर्धारित समय–सीमा में डाटा इंट्री कार्य को पूर्ण करने के लिए राज्य/जिला द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता (Service Provider) पर्याप्त मात्रा में डाटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति करेगा।

06. डाटा इंट्री एवं पर्यवेक्षण के लिए 4 रू0 प्रति रिकॉर्ड अनुमोदित है, प्रत्येक प्रवास एवं मृत्यु के डाटा इंट्री के लिए प्रति रिकॉर्ड 1 रू0 निर्धारित है।

07. पूरे राज्य में एक साथ डाटा इंट्री का कार्य प्रारंभ किया जाना है।

08. डाटा इंट्री के गुणवत्ता की जांच विशेषकर राशन कार्ड संख्या, आधार संख्या तथा मोबाईल नं0 के लिए आवश्यक तंत्र डाटा इंट्री केन्द्र पर स्थापित किया जाना है।

09. डाटा इंट्री केन्द्र पर सरकारी कर्मियों के द्वारा पूरे रिकॉर्ड का कम से कम 20 प्रतिशत रिकॉर्ड का जांच किया जायेगा। आंकड़ों के जांच के उपरांत पर्यवेक्षक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका के Front Page पर नाम, पदनाम अंकित करते हुए तिथि के साथ हस्ताक्षर करेगा।

10. डाटा इंट्री ऑपरेटरों की योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर साक्षर एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डाटा इंट्री करने का ज्ञान होना चाहिए।

11. पर्यवेक्षक सरकारी कर्मी एवं कम्प्यूटर साक्षर होना चाहिए।

12. एन.आई.सी, नई दिल्ली द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के सहयोग से डाटा इंट्री के लिए ट्रेनिंग मोड्यूल तैयार किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों एवं नगर निगम में प्रेषित किया गया है। सॉफ्टवेयर का संशोधित वर्जन प्राप्त होने पर पुनः प्रेषित किया जायेगा।

13. जनगणना कार्य निदेशालय बिहार, पटना/भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा डाटा इंट्री हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

14. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस के लिए जिला/प्रखंड स्तर पर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड बनाया जाना है।

15. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस की गुणवत्ता की जांच के लिए जिला/प्रखंड/नगर निकाय प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा। पर्यवेक्षक के द्वारा जांच करने के उपरांत संशोधित आंकड़ें दिल्ली स्थित एन.आई.सी के सर्वर में चार्ज द्वारा अपलोड किया जायेगा।

16. डाटा इंट्री का जांच न्यादर्श तरीके से जनगणना निदेशालय बिहार के अधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भी किया जायेगा।

17. सभी स्तर पर कार्यशील तंत्रों (Functional Mechanism)के द्वारा बेब–पोर्टल के माध्यम से डाटा इंट्री कार्य का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

18. तकनीकी विवरणी प्रत्येक राज्य/जिला स्तर कर्मियों को भेजा जायेगा तथा यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बेब–पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा।

19. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस का कार्य पूर्ण होने तक प्रखंड/नगर निकाय स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका/नये परिवारों के लिए भरी गयी अनुसूचियां सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से रखा जायेगा।

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
Office of the Director of Census Operations, Bihar
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, द्वितीय तल, अशोक राजपथ पटना – 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Building, 2nd Floor, Ashok Rajpath, Patna-800004
दूरभाष 0612/2675929/2675672 दूरभाष एवं फैक्स 0612-2675049/ई-मेल deo-bih.rgi@censusindia.gov.in

स्पीड पोस्ट / ई मेल

पत्रांक–जे. 11015 / 04 / 2012 (NPR)–पार्ट- VII 1582 दिनांक- 22/7/16

परिपत्र संख्या–5

प्रेषक,

पी० के० चौधरी
संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रण अधिकारी
–सह–संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

सेवा में,

बिहार राज्य के सभी जिलाधिकारी–सह–
जिला रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन) एवं नगर आयुक्त
–सह–जिला रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन), नगर निगम, पटना।

विषयः–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों के डाटा इंट्री हेतु प्रगणकों / पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एवं जिला स्तर पर सेवाप्रदाता के चयन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

जनगणना निदेशालय बिहार, पटना द्वारा आपको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने से संबंधित कार्यों की जानकारी एवं सफल संचालन हेतु अब तक कुल 4 परिपत्र जारी किये जा चुके हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :–

01. परिपत्र संख्या–1 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) के डाटाबेस को अद्यतन करने एवं आधार नम्बर को एन.पी.आर डाटाबेस में सम्मलित करने के संबंध में।
02. परिपत्र संख्या–2 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) के डाटाबेस को अद्यतन एवं एन.पी. आर डाटाबेस में आधार संख्यांक को सम्मिलित करने के कार्य हेतु प्रशिक्षण तथा प्रगणकों के नियुक्ति के संबंध में।
03. परिपत्र संख्या–3 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) के सार पत्रकों को अपलोड करने एवं रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के संबंध में।
04. परिपत्र संख्या–4 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों के डाटा इंट्री एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटा बेस को अद्यतन करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन किये जाने के पश्चात डाटा इंट्री कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के सहयोग से एक साफ्टवेयर एवं मेन्युअल निर्मित किया गया है जिसे प्रधान सचिव–सह–राज्य समन्वयक (राष्ट्रीय पंजीयन), राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना को प्रेषित किया जा चुका है और यह साफ्टवेयर एवं मेन्युअल npr-rgi.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

रवि रंजन

उपरोक्त कार्य के संबंध में आगामी कार्यवाई निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है:-

01 कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि आपके जिले में समेकित गणना ब्लॉक सार की डाटा इंट्री का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया गया है। यदि आपके जिले में उपरोक्त कार्य पूर्ण न किया गया हो तो आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाये।

02. सेवा प्रदाता के चयन हेतु जिला अथवा राज्य स्तर पर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा हेतु तकनीकी विशिष्टताओं (Technical Specifications) को npr-rgi.nic.in बेवसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु Installation Instructions & Steps की छायाप्रति संलग्न।

03. डाटा इंट्री कार्य को 90 दिनों में समाप्त किया जाना है एवं एक प्रगणक खंड का कार्य 3 दिनों में समाप्त किया जाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित किया जाय।

04. सेवा प्रदाता का यह दायित्व होगा कि वह सभी प्रकार का हार्डवेयर एवं कार्य करने हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, सहयोगी मैनपावर एवं ऑपरेटर उपलब्ध करायें।

05. सेवा प्रदाता को भुगतान प्रति रिकॉर्ड के आधार किया जायेगा। एक रिकॉर्ड का अर्थ किसी एक व्यक्ति विशेष के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत दर्ज संपूर्ण सूचना है।

06. जिलावार आवश्यक पर्यवेक्षकों की अनुमानित संख्या इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

07. जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में समस्त ग्रामीण / नगरीय / नगर पालिका निगम के उप जिला रजिस्ट्रार, जिला सूचना अधिकारी, पर्यवेक्षक (शासकीय कर्मचारी), सेवा प्रदाता (Vendor) एवं उनके द्वारा चयनित ऑपरेटर तथा सहयोगी पर्यवेक्षण टीम की उपस्थिति अनिवार्य है।

08. प्रशिक्षण स्थल पर निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करना प्रस्तावित है:-

(i) एक हॉल जिसमें लगभग 40–50 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा हो।
(ii) प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन।
(iii) दो कम्प्यूटर (Same network / LAN with internet facility)।

09. निदेशालय द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण की तिथियों एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अधिकारियों की सूची निर्धारित की जा रही है एवं शीघ्र ही इस संबंध में अलग से सूचना दी जायेगी।

10. डाटा इंट्री कार्य में जिला सूचना केन्द्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु निदेशालय से निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, बिहार, पटना से राज्य स्तर पर समन्वयक नियुक्त करने एवं प्रत्येक जिले में स्थापित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (N.I.C) के जिला सूचना अधिकारी को भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

11. जिला सूचना अधिकारी को यह भी निदेशित करें कि डाटा इंट्री कार्य प्रारंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदाता (Vendor) द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों में सॉफ्टवेयर के अनुसार Configuration (सूची संलग्न) उपलब्ध है या नहीं।

12. डाटा इंट्री का कार्य ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन दोनों प्रकार की प्रद्वतियों से किया जा सकता है, परन्तु यह उपयुक्त होगा कि यह कार्य ऑन लाईन पद्वति से ही किया जाये।

रवि रंजन

13. चार्ज स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा 20% कार्य की जाँच की जायेगी। पर्यवेक्षक के मानदेय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा। पर्यवेक्षक निश्चित रूप से सरकारी कर्मी ही होगें।

14. भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा कार्य के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु निदेशालय स्तर पर एक State Project Management Unit (SPMU) का गठन किया गया है। इस SPMU में श्री राजकिशोर एवं श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा को नामित किया गया है। अतः कार्य सम्पादन एवं तकनीकी सहयोग के लिये उनसे सम्पर्क क्रमशः मोबाईल संख्या–7739087758 एवं 9334175362 कार्यालय अवधि में किया जा सकता है।

अंत में परिपत्र संख्या–5 इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से इस परिपत्र की प्रति जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की कृपा करना चाहें तद्नुसार इसकी पावती प्राप्त कराकर निदेशालय को भी सूचित कराने हेतु संबंधित को निदेशित करना चाहें। इस आशय से पर्याप्त संख्या में परिपत्र आपको उपलब्ध करायी जा रही है।

22.6.16

(पी०के० चौधरी)
संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रण अधिकारी
–सह–संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

रवि रंजन

पत्रांक–जे. 11015/04/2012 (NPR)–पार्ट–VII–1802 पटना, दिनांक–22/6/2016
प्रतिलिपिः–

01. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना–800015.
02. अपर महारजिस्ट्रार, (नागरिक निबंधन), भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011.
03. प्रधान सचिव–सह–राज्य समन्वयक (राष्ट्रीय पंजीयन), राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना–800015.
04. श्री मनोज कुमार, उप महारजिस्ट्रार एवं नोडल अधिकारी (एन.पी.आर) बिहार, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011.
05. सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
06. सभी अनुमंडल पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
07. सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
08. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
09. उप निदेशक/सहायक निदेशक/सां० अं० ग्रेड I, जनगणना कार्य निदेशालय बिहार, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.6.16

(पी०के० चौधरी)
संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रण अधिकारी
–सह–संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

रवि रंजन

का. प्र०

2 Installation Instructions & Steps

This integrated utility is available to download on the NPR portal (http://npr-rgi.nic.in), Charge user can download it from portal and thereafter the application to be configured and also the master data will need to be configured on a computer having network connectivity (internet connected). There are some mandatory instructions required to be followed for installing this utility:

- This is an MS windows based utility which can be installed on a system running Microsoft Windows OS (Windows 7 recommended). It won't work on system running on Linux or any other operating system
- The system having the internet connectivity can be configured the Charge level NPR Data Update utility through internet and in case of non-internet connectivity, user can configure it through import zip packet provided by RGI. This system will be treated as the master computer, whereas the Supervisor/Data entry operator utility can be used offline.
- All the local languages should be installed on the system (see section System Setting)
- Date Format to be followed in only DD/MM/YYYY (see section System Setting)
- The pre-requisites for installing this utility are,
- System should have Antivirus installed on it.
- In case of network connectivity issues, the utility will give an appropriate error message and will not login.
- Utility can best perform on the system with at least 1GB RAM, 100 GB HDD and Windows 7 installed on it.
- The Windows Firewall should be Off to install the utility for LAN environment (see section System Setting, about how to Turn Off the Windows Firewall)